न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी श्री कमल कुमार मीना R.A.S

मिसल नं0	तारीख दायर	तारीख फैसल
152 / प्रा0पत्र / 2019	25.10.2019	20.10.2021

बाबूद्दीन आ0 नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी जमीतपुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)

......प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी (राज0) ....अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ताप्रार्थीः– श्री हिम्मत सिंह
अधिवक्ता अप्रार्थीगः– पेरोकार सरकार

– : : निर्णय : : –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 136 भू–राजस्व अधिनियम

संक्षेप में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न तथ्य निवेदन किये किः–

1. यह कि भूमि ख0सं0 84 रकबा 15 बीघा 7 बिस्वा, ख0सं0 1 रकबा 15 बीघा 7 बिस्वा कुल किता–2 रकबा 30 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम जमीतपुरा पटवार क्षेत्र बाजड भू0अ0 नि0 क्षेत्र बाजड़ तहसील तालेडा जिला बून्दी में विस्थित है, जिसमें प्रार्थी बाबूद्दीन का पैतृक अधिकार है जिसमें जमाबन्दी 2074–77 प्रस्तुत है।
2. यह कि प्रार्थी के नाम खातेदारी में इन्द्राज करते समय वादी का नाम बाबू अंकित हो गया जो कि इन्द्राज गलती कि श्रेणी में आता है तथा वादी के समस्त दस्तावेजों में नाम बाबूद्दीन बोलता है। अतः उक्त इन्द्राज का शुद्धिकरण किया जाना आवश्यक है।
3. यह कि प्रार्थी के समस्त आवश्यक दस्तावेजो व पहचान के दस्तावेजो जैसे बैंक पासबुक, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाइसेन्स, पेन कार्ड, भामाशाह कार्ड, सैकेण्डरी कि मार्कशीट में उसका नाम बाबूद्दीन पुत्र नूर मोहम्मद लिखवाया गया इस प्रकार वर्तमान में प्रार्थी के सभी पहचान के दस्तावेजो में बाबूद्दीन पुत्र नूर मोहम्मद नाम इन्द्राज है तथा प्रार्थी / वादी अपना सम्पूर्ण सव्यवहार इसी नाम बाबूद्दीन पुत्र नुर मोहम्मद से करता है।
4. यह कि प्रार्थी वर्तमान समय में समस्त राजस्व रिकार्डो में बाबू नाम इन्द्राज है जो कि टंकणीय त्रुटि के कारण दर्ज हुआ तो प्रार्थी के द्वारा पटवार क्षेत्र बाजड में इस टंकणीय त्रुटि के बारे में बताया गया तो उन्होने शुद्धिकरण करने से मना कर दिया एवं प्रार्थी ने कहा कि मेरे समस्त पहचान के दस्तावेजो में मेरा नाम बाबूद्दीन दर्ज है। यदि इस समय राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त नही किया गया तो भविष्य में मुझे उक्त कृषि भूमि बाबत् सव्यवहार करने में भारी समस्याओं का समाना करना पड़ेगा परन्तु हल्का पटवार बाजड ने राजस्व जमाबन्दी में काफी निवेदन करने पर भी प्रार्थी का नाम बाबू के स्थान पर बाबूद्दीन करने से साफ तौर से इन्कार कर दिया।
5. यह कि प्रार्थी द्वारा 15.08.2019 को अन्तिम बार पटवार क्षेत्र बाजड में इन्द्राज दुरूस्ती का निवेदन किया गया, परन्तु कोई कार्यवाही नही कि गई जिस कारण श्रीमान के समक्ष इन्द्राज दुरूस्थ करने का प्रार्थना पत्र कार्यवाही पेश करने का वाद कारण उत्पन्न हुआ है जो निरन्तर जारी है।
6. यह कि लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 136 में यह व्यवस्था की गई कि इन्द्राज दुरूस्त चाहने बाबत् कोई व्यथीत पक्षकार न्यायालय की शरण ले सकता है। मार्फत न्यायालय राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती का आदेश प्राप्त कर इन्द्राज दुरूस्थ करवा सकता है तथा अपने अधिकारो का सुचारू रूप से उपयोग व उपभोग कर सकता है।

उपखण्ड अधिकारी
तालडा जिला बून्दी(राज0)

Scanned with CamScanner

7. यह कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम खातेदार के रूप में बाबू के स्थान पर पहचान के दस्तावेजी रिकार्ड के आधार पर प्रार्थी बाबूद्दीन नही किया गया तो प्रार्थी के साथ घोर अन्याय होगा तथा प्रार्थी उक्त कृषि भूमि का सव्ययहार उचित रूप से नही कर पायेगा, जिससे उसको अपूरणीयक्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नही होगी। इस कारण न्यायाहित में प्रार्थी का इन्द्राज दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र कार्यवाही स्वीकार किया जाना अति आवश्यक है।

8. यह कि प्रार्थी किसी भी प्रकार से न्यायालय को गुमराह नही किया जा रहा है और न ही प्रार्थना पत्र में झूठी प्रवंचना की गई है। प्रार्थना पत्र कार्यवाही प्रस्तुत करने का प्रार्थी उद्देश्य मात्र खातेदार के रूप में राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त करवाने का है।

9. यह कि अप्रार्थी भूमिधारी होने के कारण तथा इस प्रकार के इन्द्राज दुरूस्ती के लिए समक्ष होने के कारण पक्षकार बनाया गया है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी के हक में प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आशय का आदेश प्रदान किया जावे–

1. यह कि भूमि ख0सं0 84 रकबा 15 बीघा 7 बिस्वा, ख0सं0 1 रकबा 15 बीघा, 7 बिस्वा कुल किता–2 रकबा 30 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम जमीतपुरा पटवार क्षेत्र बाजड भू0अ0 नि0 क्षेत्र बाजड़ तहसील तालेडा जिला बून्दी में विरिथत है, जिसमें प्रार्थी बाबूद्दीन का पैतृक अधिकार है जिसमें जमाबन्दी 2074–77 प्रस्तुत है, में बाबू के स्थान पर बाबूद्दीन इन्द्राज करने का आदेश फरमावे।
2. राजस्व रिकार्ड में खातेदार के रूप में बाबूद्दीन पुत्र नूर मोहम्मद किया जावे।
3. अन्य न्यायोचित सहायता जिसके वादी पाने के अधिकारी हो प्रदान की जावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया । जवाब पेरोकार सरकार ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में बताया कि प्रार्थी बाबू आ0 नूर मोहम्मद को दूसरे नाम बाबूद्दीन पुत्र नूर मोहम्मद के नाम से भी जाना जाता है। दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है।

साक्ष्य में प्रार्थी की और नकल जमाबन्दी खाता सं0 7 ग्राम छपावदा संवत् 2074–77, ग्राम पंचायत जमीतपुरा पं.सं. तालेडा का प्रमाण पत्र, बैंक की पास बुक, वोटर आईडी कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, आधार कार्ड, पेन कार्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की मार्कशीट छायाप्रति की प्रतियॉ पेश की।

पत्रावली प्रशासन गॉवों के संग अभियान के तहत कैम्प स्थल जमीतपुरा में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी खाता सं0 7 ग्राम छपावदा संवत् 2074–77 में प्रार्थी नाम बाबू पि0 नूरमोहम्मद 1/4 हिस्सा अन्य सहखातेदारान के साथ दर्ज रिकार्ड है, अन्य दस्तावेजात ग्राम पंचायत जमीतपुरा पं.सं. तालेडा का प्रमाण पत्र, बैंक की पास बुक, वोटर आईडी कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, आधार कार्ड, पेन कार्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की मार्कशीट एवं तहसीलदार तालेड़ा की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी का शुद्ध नाम बाबूद्दीन आ0 नूर मोहम्मद होना पाया जाता है। उक्त विवादित आराजीयात में प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेडा को आदेश दिया जाता है कि जमाबन्दी खाता सं0 7 ग्राम छपावदा संवत् 2074–77 में प्रार्थी का नाम बाबू हजफ किया जाकर उसके स्थान पर सही नाम बाबूद्दीन उर्फ बाबू आ0 नूर मोहम्मद इन्द्राज दुरूस्त किया जावे। जमाबन्दी में शेष इन्द्राज यथावत रहेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 20.10.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(कमल कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी(राज0)